



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 9, गुरुवार, शाके 1932—अप्रैल 29, 2010
Vaisakha 9, Thursday, Saka 1932—April 29, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप—2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 29, 2010

संख्या प. 2 (23) विधि/2/2010:—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में “दी राजस्थान मिनिस्टर्स सैलेरीज (अमेन्डमेंट) एक्ट, 2010 (एक्ट नं. 11 ऑफ 2010)” का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 11)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्राप्त हुई]

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और अधिक संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 3 का संशोधन.—राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,—

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2010” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पच्चीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति “सत्रह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बाईस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iv) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति “पन्द्रह हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 4 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

- (i) उप-धारा (1) में,—
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2010” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पच्चीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (2) में,—
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ

की तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "चौदह हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में,—

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ की तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "चौदह हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 7-ख का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 7-ख में,—

(i) उप-धारा (1) में,—

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पन्द्रह हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-धारा (3) में,—

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 29, 2010

No. F. 2 (23) Vidhi/2/2010.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 28th day of April, 2010 and is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES

(AMENDMENT) ACT, 2010

(Act No. 11 of 2010)

[Received the assent of the Governor on the 28th day of April, 2010]

An

Act

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 43 of 1956.—In section 3 of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing expression “the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act, 2005 (Act No. 12 of 2005)”, the expression “1st April, 2010” shall be substituted;
- (ii) in clause (a), for the existing expression “twenty thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted;

- (iii) in clause (b), for the existing expression “seventeen thousand rupees”, the expression “twenty two thousand rupees” shall be substituted; and
- (iv) in clause (c), for the existing expression “fifteen thousand rupees”, the expression “twenty thousand rupees” shall be substituted.

3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 43 of 1956.—In section 4 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

- (a) for the existing expression “the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006)”, the expression “1st April, 2010” shall be substituted; and
- (b) for the existing expression “twenty thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),—

- (a) for the existing expression “the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006)”, the expression “1st April, 2010” shall be substituted; and
- (b) for the existing expression “fourteen thousand rupees”, the expression “twenty thousand rupees” shall be substituted;

(iii) in sub-section (3),—

- (a) for the existing expression “the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2006 (Act No. 9 of 2006)”, the expression “1st April, 2010” shall be substituted; and
- (b) for the existing expression “fourteen thousand rupees”, the expression “twenty thousand rupees” shall be substituted.

4. Amendment of section 7B, Rajasthan Act No. 43 of 1956.—In section 7B of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

- (a) for the existing expression “the date of commencement of the Rajasthan Ministers’ Salaries (Second Amendment) Act, 2005 (Act No. 12 of 2005)”, the expression “1st April, 2010” shall be substituted; and
- (b) for the existing expression “fifteen thousand rupees”, the expression “twenty thousand rupees” shall be substituted;

(ii) in sub-section (3),—

- (a) for the existing expression “the date of commencement of the Rajasthan Ministers’ Salaries (Second Amendment) Act, 2005 (Act No. 12 of 2005)”, the expression “1st April, 2010” shall be substituted; and
- (b) for the existing expression “ten thousand rupees”, the expression “twenty thousand rupees” shall be substituted;

एस. एस. कोठारी,

Principal Secretary to the Government.